By mail.

संख्या-1193/9-7-14-122(जनरल)/14

प्रेषक,

श्रवण कुमार सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त नगर आयुक्त ,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 25 जुलाई, 2014

विषयः मीडिया नीति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के पृष्ठांकित पत्र संख्या-714/उन्नीस-1-2014-106/2014 दिनांक 12-5-2014 के साथ प्रदेश की मीडिया नीति (Media Strategy) निर्धारण के सम्बन्ध मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 28-04-2014 का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यवृत्त में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य मे समुचित कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(श्रवण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्रदेश की मीडिया नीति (**Media Strategy**) निर्धारण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 28.04.2014 का कार्यवृत्त

उपस्थिति–

सर्वश्री

1. आलोक रंजन, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
2. संजीव सरन, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग।
3. अरूण सिंघल, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
4. नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव, सूचना विभाग।
5. देवेश कुमार चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
6. एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग।
7. के0 राम मोहन राव, सचिव, समाज कल्याण विभाग।
8. भुवनेश कुमार, सचिव, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
9. शिव श्याम मिश्र, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।

प्रदेश सरकार की छवि बेहतर बनाने के लिए 'मीडिया **स्ट्रेटजी**' के आधार पर रणनीति निर्धारित करने हेतु बैठक में सरकार के प्रचार–प्रसार से संबंधित विभिन्न नीतियों पर विस्तृत एवं गम्भीर चर्चा हुई।

1– प्रमुख सचिव, सूचना द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में सूचना विभाग में तकनीकी एवं प्रचार–प्रसार के काम में दक्ष कर्मचारियों/अधिकारियों की **कमी** है तथा कई वर्षों से सूचना विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को इस विषय में कभी प्रशिक्षण भी नहीं कराया गया जिससे प्रचार–प्रसार के अधिकतर काम बाहरी एजेंसियों से कराये जाते हैं, जिनमें निरन्तरता की कमी रहती है। प्रदेश की प्रचार–प्रसार नीति की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि एक बाहरी **पी0आर0 फर्म** को अनुबन्धित किया जाय। इस पी0आर0 फर्म का मुख्य कार्य समय–समय पर प्रेस रिलीज तैयार कराना, मा0 मुख्य मंत्री जी तथा अन्य मंत्रियों और उच्चाधिकारियों की मीडिया से साक्षात्कार हेतु समन्वय स्थापित कराना। मा0 मुख्य मंत्री जी और अन्य महानुभावों के भाषणों के विषय में सुझाव देने, विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतीकरण बनवाने, प्रेस वार्ता आयोजित कराने, रोड–शो आदि कार्यों में **पी0आर0 फर्म** सूचना विभाग का सहयोग करेगी। एजेन्सी का मुख्यतः कार्य प्रदेश सरकार की **ब्राण्डिंग** करना होगा।

..2/

बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा उपरोक्त के सम्बंध में सहमति व्यक्त की गयी। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह आदेश दिये गये कि अन्य प्रदेशों, जहां राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार से पी0आर0 एजेन्सी को आबद्ध किया गया है, से आबद्धीकरण की शर्तें, उन्हें दिये गये कार्य व अन्य सभी विवरण प्राप्त कर लिये जायें तत्पश्चात् अग्रतर कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही: निदेशक, सूचना तथा सूचना विभाग)

2— दूसरे बिन्दु के रूप में, प्रमुख सचिव, सूचना द्वारा प्रचार–प्रसार नीति के सम्बंध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं/निगमों इत्यादि द्वारा समय–समय पर अपने स्तर से विज्ञापन जारी किये जाते हैं। यह पाया गया है कि इन विज्ञापनों में एकरूपता, गुणवत्ता, संदेश की सटीकता इत्यादि नहीं रहती है तथा कोई भी विधिवत् मीडिया प्लान नहीं रहता, जिसकी वजह से उक्त संस्थाओं द्वारा काफी बड़ी धनराशि विभिन्न कार्यक्रमों की पब्लिसिटी हेतु व्यय किये जाने के बावजूद प्रचार–प्रसार का कोई बहुत असर नहीं हो पाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि प्रदेश के सभी विभागों, संस्थाओं, निगमों इत्यादि को निर्देशित किया जाय कि उनके स्तर से कोई भी विज्ञापन सूचना विभाग को बिना सलाह के जारी नहीं किया जायेगा। जब भी किसी विभाग द्वारा विज्ञापन अथवा पब्लिसिटी का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तो विज्ञापन तैयार करने हेतु आवश्यक सामग्री तथा प्रस्तावित मीडिया प्लान सूचना विभाग को भेजा जायेगा, सूचना विभाग 'कॉमन लोगो' व 'कॉमन मेसेज' के साथ विज्ञापन का डिजाइन बनवायेंगे तथा विज्ञापन का डिजाइन व मीडिया प्लान संबंधित विभागों, संस्थाओं, निगमों को भेजेंगे। संबंधित संस्था/विभाग/निगम द्वारा सूचना विभाग के माध्यम से अथवा स्वयं उक्त मीडिया प्लान के अनुसार ही विज्ञापन जारी किये जायेंगे। इस प्रकार व्यवस्था करने से विज्ञापनों में एकरूपता, निरन्तरता लायी जा सकती है तथा इसके अतिरिक्त एक कॉमन मेसेज आम जनता को दिया जा सकता है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा आदेश किये गये कि उनकी ओर से निर्देश प्रस्तावित कर प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही: समस्त विभाग/निदेशक, सूचना)

..3/

3— प्रमुख सचिव, सूचना द्वारा इस विन्दु पर प्रकाश डाला गया कि प्रेस नोट तथा प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से प्रचार–प्रसार करने में मीडिया का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। वर्तमान में शासन के विभिन्न विभागों द्वारा सामयिक प्रेस नोट की कोई परम्परा नहीं है जिसके कारण एक तो बहुधा शासन द्वारा लिये गये जनहित के फैसलों का समुचित प्रचार–प्रसार नहीं हो पाता, वहीं दूसरी ओर सूचना विभाग द्वारा प्रत्येक विभाग में तैनात किये गये सूचना अधिकारियों के भी समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है। सरकार के द्वारा लिये गये विभिन्न फैसलों तथा जनहित के निर्णयों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि प्रेस नोट, प्रेस ब्रीफिंग तथा प्रेस कान्फ्रेन्स की व्यवस्था का समय–समय पर सदुपयोग किया जाए। इस हेतु सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है कि वह शासन के विकास एजेण्डा (Agenda) से संबंधित बिन्दुओं पर प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक ऐसी समीक्षा बैठक के उपरान्त जिसमें प्रगति दर्शायी गई हो, के आधार प्रेस रिलीज जारी करें तथा विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा महीने में कम से कम एक प्रेस कांफ्रेन्स की जाये यदि अन्य किसी बिन्दु में या किसी कार्य में विशेष उल्लेखनीय प्रगति है तो–

(1) प्रेस कांफ्रेन्स के साथ–साथ इन विषयों पर एडवाटोरियल एवं विज्ञापन बनाकर प्रसारित किए जायेंगे।

(2) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से डाक्युमेन्ट्री बनाकर टेलीकास्ट की जायगी।

(3) होर्डिंग्स बनाकर सार्वजनिक स्थलों पर लगवाए जायेंगे।

(4) विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में प्रेस कांफ्रेन्स आयोजन के साथ–साथ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में प्रेस कांफ्रेन्स की जायेगी।

विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् सभी ने उपरोक्त बिन्दु पर सहमति व्यक्त की और मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:–

क– वर्ष 2013–14 में निर्धारित किये गये विकास एजेण्डा के बारे में सभी संबंधित विभागों द्वारा एजेन्डा के बारे में विभिन्न निर्देश/शासनादेश तथा अद्यावधिक प्रगति के बारे में प्रत्येक 15 दिन में प्रेस नोट जारी किया जायेगा तथा माह में कम से कम 2 प्रेस नोट जारी किये जायेंगे एवं कम से कम एक प्रेस कांफ्रेन्स आयोजित की जायेगी तथा प्रत्येक योजनाओं और प्रत्येक बिन्दु पर विभाग द्वारा अध्यावधिक प्रगति प्रस्तुत की जायेगी।

..4/

ख— सूचना विभाग द्वारा प्रत्येक माह विभागवार रिपोर्ट बनाकर मुख्य सचिव को प्रस्तुत की जायेगी कि अमुक विभाग द्वारा उक्त माह में कितने प्रेस रिलीज किये गये, कितनी प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस कांफ्रेन्स किये गये।

ग— सूचना विभाग द्वारा प्रत्येक विभाग से निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा तथा जहां भी उन्हें मीडिया से संबंधित कार्य में यदि सहयोग की आवश्यकता होगी, सहयोग प्रदान किया जायेगा।

घ— सूचना विभाग द्वारा सूचनाधिकारियों को कड़े निर्देश दिये जायेंगे कि वह संबंधित विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव से निरन्तर सम्पर्क रखें तथा प्रेस नोट इत्यादि बनायें तथा प्रत्येक दिन विभाग से संबंधित प्रेस कटिंग का रिकार्ड रखें और रिकार्ड बनाकर विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया करें।

च— प्रत्येक माह के प्रारम्भ में प्रमुख सचिव, सूचना द्वारा मुख्य सचिव के सम्मुख एजेन्डा प्वाइन्ट रखा जाएगा तथा एक माह में आयोजित होने वाले प्रेस कांफ्रेन्स के लिए योजना/कार्यक्रम अथवा बिन्दुओं का चयन किया जाएगा। जिसके आधार पर मुख्य सचिव महोदय तथा यथा सम्भव मा0 मुख्य मंत्री जी की प्रेस वार्ता प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी। संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा बुलायी गयी प्रेस कांफ्रेन्स में विभागीय मंत्री को भी बुलाया जा सकता है।

(कार्यवाही: समस्त सचिव/प्रमुख सचिव तथा निदेशक, सूचना)

4— सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में से कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों को फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में चिन्हित किया जायेगा। ये योजनाएँ यथा समाजवादी पेंशन योजना, आगरा—लखनऊ एक्सप्रेस—वे योजना, लखनऊ मेट्रो रेल योजना, आई0 टी0 सिटी परियोजना इत्यादि हो सकती है। इन फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में किसी एक भी योजना जिसका चयन मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से किया जायेगा, के बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रेस—कान्फ्रेस की जायेगी जिसमें विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव उपलब्धियों के बारे में बतायेगें। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय उपलब्धि होने पर फ्लैगशिप योजना के बारे में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माह में एक बार प्रेस—कान्फ्रेस आयोजित की जायेगी।

Bund

..5/

मा० मुख्यमंत्री जी की प्रेस--कान्फ्रेंस में सबसे पहले डाक्यूमेंट्री फिल्म/प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रगति दर्शायी जायेगी। तत्पश्चात विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा प्रेस प्रतिनिधियों को संबंधित प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया जायेगा। प्रेस--कान्फ्रेंस के पश्चात् वृहद स्तर पर मीडिया प्लान के अंतर्गत डाक्यूमेंट्रीज/होर्डिंग/नुक्कड़ नाटक इत्यादि के माध्यम से भी फ्लैगशिप योजना का प्रचार प्रसार किया जायेगा।

बैठक में यह भी विचार--विमर्श किया गया कि किसी विभाग की विशिष्ट उपलब्धियों के प्रचार--प्रसार हेतु मीडिया प्रतिनिधियों का क्षेत्रीय भ्रमण कराया जाए।

(कार्यवाही: समस्त सचिव/प्रमुख सचिव तथा निदेशक, सूचना)

5- शासन के विकासपरक कार्यक्रमों, जनहितकारी योजनाओं, महत्वपूर्ण नीतियों एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों आदि के प्रचार--प्रसार हेतु प्रदेश में वर्ष--1946 मे सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का गठन किया गया था। यह विभाग शासन तथा जनता के मध्य सेतु की भूमिका निभाता है। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के वर्तमान संरचनात्मक संगठन के अन्तर्गत प्रेस प्रभाग, विज्ञापन प्रभाग, क्षेत्र--प्रचार प्रभाग, प्रकाशन शाखा, गीत एवं नाट्य शाखा, पत्र सूचना शाखा, ग्रामीण प्रसारण शाखा, प्रदर्शनी प्रभाग (किसान मेला एवं प्रदर्शनी), राष्ट्रीय समारोह, निरीक्षा शाखा, फोटो फिल्म शखा, फिल्म बन्धु, प्लान सेल, सामुहिक दूरदर्शन योजना, प्रशासन प्रभाग, लेखा प्रभाग, निकासी प्रभाग, अन्वेशण एवं अनुलेखन (सन्दर्भ पुस्तकालय), पेन्शन सेल, ऑडिट सेल, मुख्यमंत्री सूचना परिसर, मुख्यमंत्री रिकॉर्डिंग यूनिट, मीडिया सेन्टर सहित राज्य सूचना केन्द्र, लखनऊ एवं उ0प्र0 राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली कार्यरत हैं।

उल्लेखनीय है कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के गठित होने के समय प्रचार--प्रसार के उपलब्ध विभिन्न माध्यमों में मुख्यतः प्रिन्ट मीडिया ही उपलब्ध था, जो अत्यन्त सीमित स्थानों से सीमित संख्या में प्रकाशित होता था। तत्समय अन्य माध्यमों में केवल रेडियो ही प्रचार--प्रसार का एक माध्यम था। किन्तु समय में परिवर्तन के साथ--साथ वर्तमान में जहाँ एक ओर प्रिन्ट मीडिया में समाचार पत्र--पत्रिकाओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्तर्गत विशेषकर दूरदर्शन (टी0वी0) के अनेक संस्थान एवं चैनल संचालित हुए हैं, जिनकी वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी भूमिका भी है। इसके

अतिरिक्त सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव होने से मीडिया के एक नये क्षेत्र का अत्यन्त तेजी से विकास हुआ है।

इस प्रकार से मीडिया के क्षेत्र में निरंतर क्रान्तिकारी परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न नई परिस्थितियों में शासन एवं जनता के मध्य समुचित संवाद व शासन की नीतियों के प्रचार–प्रसार के लिए सूचना विभाग में दक्ष, विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित अधिकारियों की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है और इसके लिए विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक उपकरणों एवं संशाधनों आदि की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। क्योंकि सूचना विभाग में इन नई तकनीकों एवं परिवर्तनों के अनुरूप कार्य करने वाले न तो कार्मिक उपलब्ध हैं और न ही अपेक्षित उपकरण/संसाधन उपलब्ध हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए यह आवश्यक है कि सूचना विभाग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किया जाए और रिक्त पदों पर अपेक्षित आवश्यकता के अनुरूप उनकी अर्हताएं एवं योग्यताएं संशोधित करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जाए तथा पूर्व से कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों को इस हेतु विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करायी जाए।

सूचना विभाग में मुख्यालय में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती है तथा जिला एवं मण्डल स्तर पर अधिकतर पद रिक्त हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय प्रचार–प्रसार का कार्य विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा है। इस हेतु निदेशालय स्तर पर न्यूनतम आवश्यकतानुसार ही अधिकारियों की तैनाती मुख्यालय में रखी जाए तथा शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को जनपद/मण्डल स्तर पर रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किया जाए।

वर्तमान आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में कतिपय महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किए जाने वाले अधिकारियों की अर्हता, योग्यता, वरिष्ठता के साथ ही उनकी उपयोगिता एवं उपादेयता के आधार पर तैनाती की जाए। विभाग में इस प्रकार के पदों को भविष्य के लिए चिन्हित कर लिया जाए जिन पर अपेक्षित अर्हता, योग्यता एवं वरिष्ठता रखने वाले अधिकारियों को ही तैनात किया जाएगा। इसी प्रकार भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के स्थान पर सीधी भर्ती के अन्तर्गत नियुक्तियां प्रस्तावित संशोधित सेवा–नियमावली में उल्लिखित अर्हता/योग्यता के अनुरूप की जाए ताकि कुछ समय के उपरान्त विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारी वांछित अर्हता/योग्यता के अनुसार तैनात हो सकें।

सूचना विभाग को आधुनिक प्रचार–प्रसार के संसाधनों से युक्त किया जाना आवश्यक है। इस हेतु विभाग में हाइटेक कैमरों, प्रोसेसिंग लैब/स्टूडियो, एल0सी0डी0/एल0ई0डी0 टी0वी0, प्रोजेक्टर्स् एवं आधुनिकीकरण हेतु अपेक्षित उपयुक्त एवं प्रासंगिक अन्य उपकरणों आदि की व्यवस्था कराए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाहीः सूचना विभाग/निदेशक, सूचना)

6– बैठक में यह बिन्दु भी उठाया गया कि विभिन्न समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में किसी विभाग विशेष के संबंध में/सरकार के संबंध में नकारात्मक समाचार का प्रकाशन या प्रसारण किया जाता है जिसका तत्समय खण्डन नहीं हो पाता है। इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिए गए कि इस प्रकार के नकारात्मक समाचारों के प्रकाशन/प्रसारण की सूचना प्राप्त होने पर उसका तत्काल तथ्यात्मक खण्डन किया जाय और यदि आवश्यकता हो तो प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। यद्यपि इस संबंध में पूर्व में निर्देश निर्गत किए गए हैं, फिर भी इस बिन्दु पर कार्यवाही हेतु पुनः अनुस्मारित कराया जाए।

(कार्यवाहीः समस्त सचिव/प्रमुख सचिव तथा निदेशक सूचना)

सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
सूचना अनुभाग–1
संख्या–714 /उन्नीस–1–2014–106/2014
लखनऊः दिनांक 12 मई, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री आलोक रंजन, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सूचना अनुभाग–2
5. पत्रावली/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

12/5/14

(डॉ0 अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव